न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 33/2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00488

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. गुमानसिंह पुत्र कानसिंह जी जाति राजपुरोहित 2. प्रतापसिंह पुत्र भीकसिंह जी जाति राजपूत निवासीगण आना तहसील देसूरी जिला पाली।		1. ग्राम पंचायत आना मार्फत सरपंच पता गांव आना तहसील देसूरी जिला पाली। 2. गणेशराम पुत्र लालाराम जी जाति प्रजापत, निवासी ग्राम आना, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :- अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश वैष्णव

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 30/9/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत आना द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 21.10.2004, मिसल संख्या 11/2002-03 की पालना में पट्टा संख्या 3999 दिनांक 22.12.2004 जारी किया गया उन्हें निरस्त कराने हेतु पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर ग्राम पंचायत आना का रेकर्ड तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण की मृत्यु प्रकरण के विचाराधीन रहते हो जाने पर प्रार्थीगण गुमानसिंह एवं प्रतापसिंह को जरिये नोटिस तलब किया जाने पर प्रतापसिंह के फौत हो जाने की रिपोर्ट तामील कुनिंदा ने की है तथा गुमान सिंह ग्राम आना में हाजिर नहीं होने तथा ग्राम निपल तहसील रानी में रहने बाबत तामील कुनिंदा की रिपोर्ट प्राप्त हुई इस पर गुमानसिंह की तलबी हेतु ग्राम नीपल तहसील रानी जिला पाली के पते पर नोटिस प्रेषित किया गया जो खुले मकान पर चस्पा करने एवं पड़ौसियान द्वारा तस्दीक नहीं करने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है प्रकरण में गुणावगुण पर फैसला करने हेतु वकील अप्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार पट्टा संख्या 3999 मिसल संख्या 11/2002-03 निर्णय दिनांक 22.12.2004 एवं संकल्प संख्या 2 दिनांक 21.10.2004 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है उक्त भूखण्ड का नाप पूर्व पश्चिम भुजा 10-10 फुट एवं उत्तर दक्षिण भुजा 15-15 फुट दर्ज है उक्त पट्टा नियमों को ताक पर रख कर जारी किया गया है भूमी का बिना भौतिक सत्यापन किए एक ही दिन में पारित किया गया है प्रार्थी द्वारा नियम 145 के तहत पट्टा हेतु आवेदन ही नहीं किया गया न शुल्क जमा कराया न नक्शा शुल्क प्राप्त किया गया नियम 146 के तहत प्रार्थना पत्र को दर्ज हीं किया गया तथा फिर पंचायत बैठक में प्रस्तुत करना होता है तथा ग्राम पंचायत 3 वार्ड पंचों की कमेटी मौका निरीक्षण हेतु गठित करती है जो नहीं की गई न ही अस्थाई निर्णय ही पारित किया गया है। नियम 148 के तहत आपति इश्तिहार जारी नहीं किया गया हैं। न साक्ष्य दर्ज किए गए है तथा नियम 158 व 157 की पालना भी नहीं की गई है। इसलिए पट्टा निरस्त योग्य है। विवादग्रस्त भूमी तालाब की आगोर की भूमी है। एवं देव झूलनी एकादशी को देवताओं को झुलाने के लिए तालाब पर ले जाते है तब इसी चौक का उपयोग होता है वादग्रस्त जैर निगरानी आराजी आम रास्ते की भूमी है जिसका पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। संकल्प संख्या 2 दिनांक 21.10.2004 ग्राम पंचायत में पारित किया गया है। जो नहीं है मिसल ही कायम नहीं की है तथा अप्रार्थी बिना पंचायत की इजाजत के निर्माण कर रहा है। पहले निर्माण रोका था फिर पुनः चालू कर दिया है। दिवारे बनी हैं उन्हें भी ध्वस्त करने के आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:25:54 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी द्वारा पट्टा नियमों की पालना करते हुए जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 11/2002-2003 बनाई जाकर पट्टा जारी किया गया था मिसल के नंबर पट्टे पर अंकित है अब पंचायत का कथन कि मिसल व अन्य रेकर्ड इससे सम्बन्धित पंचायत में उपलब्ध नहीं है तो यह पट्टा धारक का

क्रमश.....................2

जिला कलेक्टर, पाली

दोष नहीं है इसके लिए पट्टा धारक को दण्डित नहीं किया जा सकता है पट्टा को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प संख्या 2 दिनांक 21.10.2004 भी जारी किया किया गया था प्रस्ताव रजिस्टर भी ग्राम पंचायत में नहीं होना जाहिर किया है। आगोर की भूमी अथवा तालाब की भूमी में पट्टा जारी किया गया है इस बाबत प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर जैर निगरानी पट्टा यथावत रखा जाकर निगरानी खारिज फरमावे।

बहस सुनी गई ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। इस निगरानी के संदर्भ में विचारणीय बिन्दु 2 है :—

1. क्या उक्त पट्टा तालाब/रास्ता/आगोर की भूमी में जारी किया गया है ?
2. क्या उक्त पट्टा जारी करते हुए नियमों की पालना की गई है ?

पत्रावली में ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि पट्टा रास्ते/तालाब अथवा आगोर की भूमी में जारी किया गया है। केवल मात्र निगरानी प्रार्थना पत्र में आगोर लिखकर पट्टा जारी कर दिया जाना लिखने के बाद निगरानी दर्ज करा दिए जाने से यह सिद्ध नहीं होता कि जैर निगरानी पट्टा आबादी क्षेत्र के बाहर जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत आना ने जैर निगरानी पट्टा बाबत मिसल कायम की थी वह उपलब्ध नहीं होना अपने पत्र दिनांक 2.1.2018 में उल्लेखित किया है इससे इस बात की समीक्षा नहीं की जा सकती है कि पट्टा जारी करते समय नियमों की पालना की गई अथवा नहीं। तथा मिसल नहीं होने अथवा कार्यवाही रजिस्टर नहीं होने को पट्टा अथवा संकल्प निरस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है एवं ग्राम पंचायत आना द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा संख्या 3999 दिनांक 22.12.2004 मिसल संख्या 11/2002–2003 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2004 एवं संकल्प संख्या 2 दिनांक 21.10.2004 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:25:54 IST
Reason: SelfAttested